बिहार सरकार
<u>योजना एवं विकास विभाग</u>

अधि0सं0: यो0स्था01 / सा0नि0 / 1–1 / 07 / यो0वि0,पटना,दिनांक मार्च, 2019

अधिसूचना

श्री अर्जुन पासवान एवं श्री रजनीश कुमार चौधरी, सेवानिवृत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–16989 / 2007 दायर कर दिनांक 20.12.1994 के भूतलक्षी प्रभाव से जिला सांख्यिकी पदाधिकरी / सहायक निदेशक के पद पर प्रोन्नति दिए जाने का अनुरोध किया गया।

उक्त वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक 11.07.2017 को दायर सी0डब्लू0जे0सी0 में निम्न आदेश पारित किया गया :–

In the above view of the matter, the impugned order dated 02.07.2007 passed by the Secretary, Planning and Development Department, Bihar, Patna (respondent no. 2) as contained in Annexure-1 to the writ petition is hereby set aside. The respondent no. 2 shall accordingly consider the matter afresh and pass orders in the matter of grant of promotion to the petitioners, with due regard to the judgement in (2006) 8 SCC 212, M Nagaraj & Ors. vs. union of India & Ors., the order dated 02.05.2005 passed in C.W.J.C No. 1037 of 2002 as well as the observations contained hereinabove. It is expected that the matter would be disposed of by the respondent no.2 expeditiously and in any event preferably within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of this judgment.

पारित न्यायादेश के आलोक में श्री पासवान एवं श्री चौधरी को दिनांक 20.12.1994 के प्रभाव से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / सहायक निदेशक के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति दिए जाने के प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग, बिहार, पटना से सहमति प्राप्त की गयी।

उपरोक्त दोनों सेवानिवृत पदाधिकारियों को भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान किए जाने के संबंध में अध्यक्ष बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से विभागीय पत्रांक 178 दिनांक 10.01.2019 द्वारा प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत करने का अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा दिनांक 21.02.2019 को विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक आहूत कर उपरोक्त दोनो सेवानिवृत पदाधिकारियों को दिनांक 20.12.1994 के प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा पत्रांक 3249 दिनांक 25.02.2019 द्वारा की गयी।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा उपरोक्त वाद में पारित न्यायादेश एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अर्जुन पासवान एवं श्री रजनीश कुमार चौधरी, सेवानिवृत सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना को दिनांक 20.12.1994 के भूतलक्षी प्रभाव से जिला सांख्यिकी पदाधिकारी / सहायक निदेशक अपुनरीक्षित वेतनमान रूपये 2000–3800 / –(चतुर्थ राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में) के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जाती है।

ह0 / –
(सुधीर कुमार)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः योo स्था01/साoनिo/1–1/07 /योoविo,पटना,दिनांक मार्च, 2019

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ (आईo टीo मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से)/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैoदाoनिoकोo) विभाग, बिहार, पटना।

हo/–

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांकः योo स्था01/साoनिo/1–1/07 1127 /योoविo,पटना,दिनांक 05 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/सभी संबंधित पदाधिकारी, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आईo टीo मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/3/19

सरकार के उप सचिव